सचिव, लघु जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2020 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ की गयी समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वप्रथम सभी अभियन्ताओं का अभिनन्दन करते हुए अपना परिचय दिया गया तथा अल्प अवधि में 1783 योजनाओं में से 1093 योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लिए सभी अभियन्ताओं को बधाई दी गयी।

इसके पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 05 एकड़ से बड़े तालाबों की सूची की योजनाओं का DPR बनाने सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश प्रमण्डलों द्वारा तालाबों का निरीक्षण कर उसकी सूची जिला पदाधिकारी को जिला परामर्शदातृ समिति की अनुशंसा हेतु नहीं भेजी गयी है। योजनाओं का DPR भी तैयार नहीं किया गया है।

जिला परामर्शदातृ समिति से सहमति प्राप्त करने तथा DPR तैयार करने हेतु कार्यपालक अभियन्ताओं को निम्नांकित निदेश दिये गये–

(1) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये तालाबों की जांच कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता करें तथा उसके क्षेत्रफल का आकलन करें।

(2) ग्रामीण नक्शे से भी तालाब के क्षेत्रफल का आकलन किया जाय।

(3) स्थल निरीक्षण के समय किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे भी चिन्हित किया जाय।

(4) तालाब का Latitude तथा Longitude के साथ Photograph भी लिया जाय।

(5) ग्रामीण नक्शे में जिन तालाबों का क्षेत्रफल 05 एकड़ से ज्यादा पाया जाता है तो उसकी सूची सम्बन्धित अंचलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर जिला पदाधिकारी को जिला परामर्शदातृ समिति से सहमति हेतु उपलब्ध करायी जाय।

(6) तालाब का रकबा यदि 05 एकड़ से ज्यादा है तथा परामर्शदातृ समिति की पूर्व की बैठकों में स्वीकृत है तो उसे पुनः स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का DPR तैयार किया जाय।

(7) जिन तालाबों का रकबा ग्रामीण नक्शे में 05 एकड़ से कम पाया जाता है तो उसकी सूची वास्तविक रकवा के साथ विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा जिला पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त को भी उसकी प्रति दी जाय ताकि उसका काम मनरेगा के माध्यम से कराया जा सकें।

(8) तालाबों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित अलग से एक प्रपत्र भेजा जा रहा है। इसी प्रपत्र में सूचनायें तैयार की जाय।

(9) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अतिरिक्त भी यदि कोई तालाब 05 एकड़ से अधिक रकवा का पाया जाता है तो उसकी भी सूची जिला पदाधिकारी को देते हुए DPR बनाया जाय।

(10) तालाबों के 'अतिरिक्त जिले में एक एकड़ से अधिक रकवा के जितने भी आहर–पईन हैं, उसकी भी सूची जिला पदाधिकारी को दी जाय तथा DPR तैयार किया जाय।

(11) छोटी–छोटी नदी–नालों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित होने वाले चेकडैम/वीयर की सूची भी जिला पदाधिकारी को दी जाय तथा उसका DPR बनाया जाय।

सभी अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से सतत् Monitoring करें तथा योजनाओं का DPR अनुमोदित कर विभाग को उपलब्ध करायें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

ह०/- 26/8/20

सचिव

ज्ञापांक– 1634 (मु०) *∕पटना, दिनांक–* 26/8/2020

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 26/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

ज्ञापांक– 1634 (मु०) *∕पटना, दिनांक–* 26/8/2020

प्रतिलिपि–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 26/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

ज्ञापांक– 1634 (मु०) *∕पटना, दिनांक–* 26/8/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 26/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।